



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233881
CG-DL-E-03032022-233881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 927]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943

No. 927]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 957(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) भारत के राजपत्र, (असाधारण) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2295(अ), तारीख 24 मई 2021 से प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा तमिलनाडू राज्य में एन्नोर- तिरुवल्लूर - बेंगलुरु - पुदुचेरी - नागपट्टिनम - मदुरै - टूटिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 11.06.2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है।

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाश की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी रुकावटों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची						
जिला : कल्लकुरिञ्चि		राज्य : तमिल नाडु				
तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.- खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
कल्लकुरिञ्चि	124. कञ्चाकुडि	11	5	00	01	30
		11	13	00	03	70
		11	14	00	07	45
		10	1बी1	00	02	15
		10	1बी2	00	03	75
		10	2	00	06	10
		6	4	00	07	20
		6	5ए	00	00	40
		7	1	00	06	00
		5	1ए	00	04	25
		5	2	00	09	45
		5	3	00	01	00
		4	1	00	01	85
		4	2	00	08	50
		3	2	00	00	40
		3	3	00	08	50
		3	4	00	07	60
		2	3	00	09	60
		2	7	00	04	50
उलुंदूर्पेट	51. आसनूर	378	4सी	00	03	80
		384	2ए	00	07	70
		383	2	00	06	65
		383	3	00	04	75
		383	7सी	00	05	55
		383	7डी	00	00	40

390	3	00	08	55
391	2	00	01	80
391	3	00	04	45
391	4	00	04	70
391	9	00	07	50
391	10	00	11	60
391	11	00	05	30
392	1	00	02	35
393	3	00	01	45

[फा. सं. एल-14014/33/2022-जीपी-II (ई-41703)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 957(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.No. 2295(E) dated: 24.05.2021 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (herein after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Natural Gas, through “Ennore- Thiruvallur -Bengaluru -Puducherry - Nagapattinam –Madurai- Tuticorin” Natural Gas Pipeline in the State of Tamil Nadu by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, copies of the said notifications were made available to the public from 11.06.2021.

And whereas, the Competent Authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the said report is satisfied that the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the said Land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said Land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & M P Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE						
District : Kallakurichi		State : Tamil Nadu				
Taluk	Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
				Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6	7
Kallakurichi	124. Kachchakudi	11	5	00	01	30
		11	13	00	03	70
		11	14	00	07	45
		10	1B1	00	02	15
		10	1B2	00	03	75
		10	2	00	06	10
		6	4	00	07	20
		6	5A	00	00	40
		7	1	00	06	00
		5	1A	00	04	25
		5	2	00	09	45
		5	3	00	01	00
		4	1	00	01	85
		4	2	00	08	50
		3	2	00	00	40
		3	3	00	08	50
		3	4	00	07	60
		2	3	00	09	60
		2	7	00	04	50
Ulundurpet	51. Asanur	378	4C	00	03	80
		384	2A	00	07	70
		383	2	00	06	65
		383	3	00	04	75
		383	7C	00	05	55
		383	7D	00	00	40
		390	3	00	08	55
		391	2	00	01	80
		391	3	00	04	45
		391	4	00	04	70
		391	9	00	07	50
		391	10	00	11	60
		391	11	00	05	30
		392	1	00	02	35
		393	3	00	01	45

[F. No. L-14014/33/2022-GP-II (E-41703)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.